

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 27, गुरुवार, श०के 1947- दिसम्बर 18, 2025 Agrahayana 27, Thursday, Saka 1947- December 18, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 02, 2025

संख्या:44/भू.अ./ज.स./2025/1714-1719:-चूँकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कचराखेड़ी एम.एस.टी. सिंचाई परियोजना तह. रायपुर जिला झालावाड़ में भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, चँवली परियोजना नहर खण्ड, झालावाड़ को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत्त, झालावाड़ होंगे।

विवरण

अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव

तहसील :- रायपुर

जिला :- झालावाड़

क्र स	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	कचराखेड़ी माईक्रो स्टोरेज टैंक	कचराखेड़ी	फतेहगढ	रायपुर	झालावाड़	भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत्त, झालावाड़
2		खेजरपुर				
3		निम्बाहेडा				

फार्म-2

(देखें-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशायी अभियंता चँवली परियोजना नहर खण्ड झालावाड।
	प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	कचराखेडी एम. एस. टी. सिचाई परियोजना तहसील रायपुर जिला झालावाड है। इस योजना के अन्तर्गत कुल भूमि 17 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक / सुनवाई दें। भी सुनवाईयां	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथनकि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हों जाएगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	कार्यालय अधिशायी अभियंता चँवली परियोजना नहर खण्ड झालावाड।

महेश कुमार राठी,

उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक),

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,

राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।